न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 12/22 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2022/225

उनवान

शक्ति सिंह पुत्र साधू सिंह जाति मीणा निवासी उमरेह तहसील बाडी जिला धौलपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

1. साधू सिंह
2. भगवान सिंह } पिसरान तेज सिंह
3. गोपीचन्द
4. कुन्दन सिंह } पिसरान साधू सिंह
5. घनश्याम

} जाति मीणा निवासी उमरेह तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 30.03.2022 उनवान शक्ति सिंह बनाम साधू सिंह मु0न0 31/20

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पंकज कुमार एडवोकेट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 20.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के आदेश दिनांक 30.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार सायल के बाबा तेज सिंह थे। उनकी मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी उनके तीन पुत्र साधू सिंह, भगवान सिंह, गोपीचन्द के नाम आयी। इस प्रकार विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है। जिसमें प्रार्थी अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा निहित है। परन्तु अप्रार्थी रैस्पो0, प्रार्थी अपीलाण्ट के उक्त हिस्से से इंकार करते हैं एवं दीगर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जगह विक्रय करने की धमकी देते हैं। यदि वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया। रैस्पो0 स्वयं अपने जवाव में स्वीकार करते हैं कि परिशिष्ट संख्या अ, ब में दर्ज आराजी में से 1/5 हिस्सा आराजी पैत्रिक आराजी है। पैत्रिक आराजी होने के कारण अपीलाण्ट का विवादित आराजी में जन्म से ही हिस्सा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर ना करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रैस्पो0 आये दिन विवादित आराजी को विक्रय करने की धमकी देते हैं एवं विवादित आराजी का कुछ अंश उनके द्वारा विक्रय भी किया जा चुका है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि रैस्पो0 संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में अंकित किया है कि उन्हें प्रश्नगत आराजी परिशिष्ठ अ व ब में अपने पिता से 1/5 आराजी तथा उसकी दो बहिनो द्वारा हक त्याग पत्र से 2/5 हिस्सा मिला है। जिसमें बहिनो से मिला 2/5 हिस्सा उसका स्वअर्जित है तथा शेष 1/5 हिस्सा पुश्तैनी है। परिशिष्ठ स व द में अंकित आराजी उसे वसीयतनामा द्वारा प्राप्त हुयी है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 संख्या 01 के 1/5 हिस्से में प्रार्थी अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण ना मानने में भूल की है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह स्वःअर्जित सम्पत्ति एवं पैत्रिक सम्पत्ति की पूर्ण व्याख्या करते हुये, पुनः विधिअनुसार निर्णय पारित करें।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2022 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में अधिकतम एक माह में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
भू प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
पदेन
भरतपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)